न्यायालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का हरखाली		श्रवणकुमार पुत्र मीठालाल जाति ब्राह्मण निवासी नया बाटाड़ू

मुकदमा नम्बर 05/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक [illegible] 09.2018

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम नया बाटाडु के खसरा नम्बर 1381/612 रकबा 5.00 बीघा किस्म गै. मु. अस्पताल सरकारी भूमि मे से रकबा 700 वर्ग फीट में अनाधिृत रूप से चारो तरफ कच्चा झोपा बनाकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिर्पोट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिर्पोट का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 1381/612 की भूमि सरकार की गै. मु. अस्पताल भूमि है। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 1 रु 50 गुना जुर्माना रू 50/- अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोके से बेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु